


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
<p>12/4/22</p>	<p>पत्रावली शीव्यू सुनवाई के आर्चना पत्र के साथ आज पेश हुई वकील वादी ने प्रापत्र वास्ते विद्रोह करने काबत पेश किया। वकील प्रतिवादी ने जवाब आर्चना पत्र एवं काउन्टर क्लेम पेश किया। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 20/4/22 को पेश हो।</p>
<p>20/4/22</p>	<p>वकील पत्रकारान उपस्थित हैं वकील अपार्थी ने जवाब आर्चना पत्र एवं काउन्टर क्लेम पेश किया है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 5/5/22 को पेश हो।</p>
<p>5/5/22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकारान उपस्थित हैं। प्रधान पीठसीन अधिकारी महोदय दौरे/ राजकर्म में तलाश रखते हैं। पत्रावली दि 25/8/22 को पेश हो।</p>
<p>25/8/22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील पत्रकारान उपस्थित हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया गया कि वाद विद्रोह किये जाने का आर्चना पत्र दिनांक 01-04-2022 को वकील वादी ने पेश किया था। वकील प्रतिवादी ने दिनांक 06.04.2022 को जवाब आर्चना पत्र एवं काउन्टर क्लेम प्रापत्र पेश किया। अतः विद्रोह किये जाने काबत आर्चना पत्र को अव्यभिक्तता के आधार पर निर्गित किया जाना न्यायोक्ति प्रतीत होता है। वादी अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा वाद विद्रोह करने की अनुमति चाहता है। वादी को वाद विद्रोह किये जाने</p>



नम्बर
अहमदाबाद
5/1/2019
मं. जा. 2/19

तारीख दुपम	दुपम या कार्यवाही मय इनिशियलस गज	नम्बर या तारीख अहमदाबाद की दुपम दुपम की तारीख से जारी हुए
---------------	----------------------------------	--

की स्वीकृति दी जाकर बाद विद्रो का
आपना पत्र स्वीकार किया जाता है।
प्रतिवादीगण अपने जवाब एवं काउन्टर
क्लेम के आधार पर अनुतोष प्राप्त
करने के लिए पृष्ठा से वाद दायर कर
सकते हैं। अतः वाद विद्रो किये जाने
से इस वाद पत्र में कोई कार्यवाही
शेष नहीं रहने से वाद खारिज किया
जाता है। निर्णय शुक्रे न्यायालय में
शुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम
की जाकर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर है।


उपसचिव अधिकारी
बेनवां (बून्दी)